2013: CGHC: 2529

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 677 / 2013

याचिकाकर्ता:	एस.के. शर्मा
विरुद्ध	
उत्तरवादी	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री प्रफुल्ल भारत एवं श्री सौरभ डांगी, अधिवक्तागण ।

छत्तीसगढ़ राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से श्री ए.एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से श्री सुनील ओटवानी, अधिवक्ता।

मध्य प्रदेश राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से नोटिस की तामीली होने पर भी कोई भी उपस्थित नहीं ।

भारत संघ/उत्तरवादी क्रमांक 6 की ओर से श्री एच.एस. अहलूवालिया एवं श्री विवेक श्रीवास्तव, अधिवक्तागण।

आदेश

(आज दिनांक 20 दिसंबर, 2013 को पारित)

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका में छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग/उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-2-2013 (अनुलग्नक -पी/1) तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-2-2013 (अनुलग्नक -पी/2) को चुनौती दी गई है।

2. दिनांक 2-2-2013 के आदेश द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने यह निर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य से कार्यमुक्त किए जाने योग्य है और ऐसा करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है, तथा सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित प्रशासनिक विभाग को विधि विभाग के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

3. यह मामला उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के फलस्वरूप कर्मियों के आवंटन के संबंध में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (संक्षेप में "अधिनियम, 2000") की धारा 68 (2) में निहित प्रावधानों के आलोक में, याचिकाकर्ता की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य या मध्य प्रदेश राज्य को, जैसी भी स्थिति हो, आवंटित करने से संबंधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मामले के तथ्य, जो रिट याचिका के न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित किए जाने आवश्यक हैं, वे यह हैं कि अधिनियम, 2000 के अधिनियमन के अनुसरण में और धारा 68 (2) के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु, केंद्र सरकार ने उत्तरवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्मियों के आवंटन हेतु निर्देश जारी किए थे। याचिकाकर्ता को आरंभ में अनंतिम रूप से छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित किया गया था, किंतु चूंकि वह मध्य प्रदेश राज्य में रहना चाहता था, उसने श्री यू.एस. खरे के साथ पारस्परिक आवंटन के लिए आवेदन किया और उक्त आवेदन पर कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अंततः मध्य प्रदेश राज्य आवंटित कर दिया गया।

5. तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने श्री के.के. पिपरी/उत्तरवादी क्रमांक 4 के साथ पारस्परिक आवंटन हेतु एक अन्य आवेदन प्रस्तुत किया, क्योंकि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य में ही रुकना चाहता था और उत्तरवादी क्रमांक 4 मध्य प्रदेश राज्य वापस जाना चाहता था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ता को दिनांक 8-8-2005 (अनुलग्नक पी/3) को छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित कर दिया गया। तथापि, इसके बाद उत्तरवादी क्रमांक 4 ने यह तर्क देना शुरू कर दिया कि याचिकाकर्ता के साथ पारस्परिक स्थानांतरण का उसका आवेदन दिनांक 9-12-2002 को बहुत पहले ही खारिज कर दिया गया था और उसने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 29-4-2005 (अनुलग्नक -आर 6/5) को नई नीति बनाए जाने

के बाद याचिकाकर्ता के साथ पारस्परिक स्थानांतरण के लिए कोई नया आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि नई नीति के तहत भी वह व्यक्ति जो पहले ही पारस्परिक आवंटन का लाभ प्राप्त कर चुका है, पुनः आवेदन नहीं कर सकता और पारस्परिक आवंटन चाहने वाले दोनों व्यक्ति एक ही संवर्ग के होने चाहिए। इन आधारों को प्राप्त कर ते हुए, उत्तरवादी क्रमांक 4 ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें उसके पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान की गई है। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित प्रशासनिक विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश हेतु मामले को विधि एवं विधायी कार्य विभाग को संदर्भित किया, जिस पर उक्त विभाग ने इस आशय का आदेश (अनुलग्नक पी/1) पारित किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित किया जा चुका है और उसका अभ्यावेदन केंद्र सरकार द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है, अतः याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य से कार्यमुक्त करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। अतः, यह याचिका प्रस्तुत की गयी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि श्री खरे के साथ पारस्परिक आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, अतः, यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ याचिकाकर्ता ने दो बार पारस्परिक आवंटन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर या हो। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 8-8-2005 को याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित करने हेतु पारित आदेश अंतिम हो चुका है, इसलिए, याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य से कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने इसके पश्चात यह प्रस्तुत किया कि यद्यपि दिनांक 8-8-2005 के आदेश के जारी होने के समय याचिकाकर्ता सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत था और उत्तरवादी क्रमांक 4 अधीक्षण अभियंता के रूप में कार्यरत था, किंतु एक-दूसरे के सापेक्ष स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि 1-11-2000 है और उक्त तिथि पर दोनों व्यक्ति सहायक अभियंता थे, अतः याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित करने में कोई कठिनाई नहीं थी।

7. विद्वान अधिवक्ता ने अंततः यह निवेदन किया कि उत्तरवादी क्रमांक 6/भारत संघ द्वारा प्रस्तुत केंद्र सरकार के दिनांक 29-6-2006 के आदेश (अनुलग्नक - आर 6/10) द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का खारिज किया जाना, याचिकाकर्ता के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि उससे पूर्व ही मध्य प्रदेश राज्य ने केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन

के अनुसरण में दिनांक 8-8-2005 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित कर दिया था।

8. इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता ने रिट याचिका का विरोध करते हुए यह निवेदन किया कि विधि विभाग की राय को रिट याचिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है और यह याचिका समयपूर्व है।

9. नोटिस की तामीली होने पर भी मध्य प्रदेश राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 5 ने इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने का विकल्प चुना है।

10. श्री के.के. पिपरी/उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं भारत संघ/उत्तरवादी क्रमांक 6 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इसतर्क के साथ रिट याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता को अनंतिम रूप से छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित किया गया था, तथापि, श्री खरे के साथ पारस्परिक आवंटन के उसके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए अंतिम आवंटन सूची में याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश राज्य आवंटित किया गया था और इस प्रकार, उक्त आवंटन अंतिम हो चुका है तथा दिनांक 8-8-2005 का दूसरा पारस्परिक आवंटन आरंभ से ही शून्य है क्योंकि दिनांक 29-4-2005 के परिपत्र के कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामले जिनमें पारस्परिक आवंटन की प्रार्थना के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा अंतिम आवंटन किया जा चुका है, उनके मामलों पर नए सिरे से पारस्परिक आवंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा/अभ्यावेदन के आधार पर दिनांक 29-6-2006 को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य ने स्पष्ट रूप से यह राय दी थी कि याचिकाकर्ता अंतिम आवंटन सूची तैयार करने के समय ही पारस्परिक आवंटन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसका आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। इस प्रकार, उनके अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य और राज्य सलाहकार समिति (संक्षेप में "एस.ए.सी.") ने दिनांक 29-6-2005 की अपनी बैठक के माध्यम से अभ्यावेदन को खारिज कर दिया था, अतः याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य में बने नहीं रह सकता है।

12.इस याचिका में विचारार्थ सम्मिलित विषय यह है कि - क्या याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक चरण में पारस्परिक आवंटन के लाभ का प्राप्त किया था और इस कारण वह दिनांक 29-4-2005 के परिपत्र के तहत पारस्परिक आवंटन हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अपात्रता से ग्रसित है?

13.उपरोक्त बिंदु पर याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि श्री यू.एस. खरे के साथ पारस्परिक आवंटन के लिए उसके आवेदन पर कभी विचार नहीं किया गया था और उक्त आवेदन पर कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे, और इस प्रकार, यह दो बार पारस्परिक आवंटन का लाभ प्राप्त करने का मामला नहीं है।

14.उपरोक्त तर्क का पुरजोर खंडन करते हुए उत्तरवादी गण ने यह निवेदन किया कि दस्तावेजों की एक श्रृंखला में याचिकाकर्ता ने यह मिथ्या अभिवचन किया है कि उसने श्री खरे के साथ पारस्परिक आवंटन के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया था। उनके अनुसार, याचिकाकर्ता विभिन्न अभ्यावेदनों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाबों और इस न्यायालय के समक्ष याचिकाओं में अलग-अलग अभिवचनों के माध्यम से अपना रुख बदलता रहा है। अपने संबंधित जवाबों के साथ संलग्न दस्तावेजों की ओर संकेत करते हुए, उत्तरवादी गण ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पारस्परिक आवंटन के आवेदन पर आदेश पारित किए गए थे, अतः याचिकाकर्ता ने वास्तव में पारस्परिक आवंटन की सुविधा का लाभ प्राप्त किया था और दिनांक 29-4-2005 के परिपत्र के अनुसार भी उसके नए पारस्परिक आवंटन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15.वर्ष 2000, 2001 और 2002 में उत्तरवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कर्मियों के आवंटन के समय, आरंभ में अनंतिम अंतिम आवंटन सूची अनुलग्नक आर /4-15 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी, जिसमें यह दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश राज्य में बने रहने का विकल्प चुना था, किंतु उसे छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित किया गया था और उसके पश्चात, याचिकाकर्ता और श्री यू.एस. खरे द्वारा अनुलग्नक आर /4-17 और आर /4-18 के माध्यम से पारस्परिक आवंटन हेतु आवेदन किया गया था। उक्त आवेदनों के आधार पर, विभाग ने उनके पारस्परिक आवंटन की अनुशंसा की थी (पेपर बुक का पृष्ठ क्रमांक 306)। याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में लिखा गया आवेदन अभिलेख में अनुलग्नक आर /4-19 के रूप में उपलब्ध है। उक्त आवेदन दिनांक 28-9-2001/29-9-2001 को प्रेषित किया गया था।

16.तदुपरान्त, अंतिम आवंटन सूची प्रकाशित की गई जिसमें याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश राज्य और श्री यू.एस. खरे को छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित किया गया। पेपर बुक में अनुलग्नक आर /4-24 और आर /6-1 के रूप में उपलब्ध यह आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह याचिकाकर्ता और श्री खरे द्वारा प्रस्तुत पारस्परिक आवंटन के आवेदनों के आलोक में किया गया एक अंतिम आवंटन था, क्योंकि उक्त आदेश में श्री खरे के नाम के सम्मुख यह उल्लेख किया गया है कि "स्वैप (अदला-बदली) 056/3611 के साथ" (श्री एस.के. शर्मा का विभागाध्यक्ष एवं कर्मचारी कोड, जैसा कि अनुलग्नक आर 6/1 से स्पष्ट है) और इसी प्रकार श्री एस.के. शर्मा के नाम के सम्मुख यह उल्लेख किया गया है कि "स्वैप (अदला-बदली) 056/576 के साथ" (श्री यू.एस. खरे का विभागाध्यक्ष एवं कर्मचारी कोड, जैसा कि अनुलग्नक आर 6/1 से स्पष्ट है)। यह टिप्पणी आवश्यक थी क्योंकि अन्यथा अनंतिम अंतिम आवंटन सूची में आरंभ में तैयार किए गए आवंटन प्रस्ताव को ही यथावत रखा गया था, सिवाय उन मामलों के जिनमें पारस्परिक आवंटन की प्रार्थना पर विचार करने के कारण या अन्यथा परिवर्तन हुए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17.भारत संघ और उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज यह सुस्पष्ट करते हैं कि अनंतिम अंतिम आवंटन सूची तैयार होने के बाद, याचिकाकर्ता ने वास्तव में श्री खरे के साथ पारस्परिक आवंटन के लिए आवेदन किया था और उक्त आवेदन पर कार्रवाई करते हुए उसका अंतिम आवंटन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था। यह अधिक अधिसंभाव्य भी प्रतीत होता है क्योंकि अनंतिम अंतिम आवंटन सूची में उल्लेख है कि याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश राज्य के लिए विकल्प दिया था, किंतु चूंकि उसे छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित किया जाना प्रस्तावित था, इसलिए उसने श्री खरे के साथ पारस्परिक आवंटन के लिए आवेदन किया क्योंकि वह मध्य प्रदेश राज्य जाना चाहता था।

18. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 29-4-2005 को जारी परिपत्र के कंडिका 5 में प्रावधान किया गया है, जिसे यहाँ हिंदी में पुनरुद्धृत किया गया है:

> "(5) भारत सरकार द्वारा जिन शासकीय सेवकों को पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप, अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती राज्य किया गया है, ऐसे शासकीय सेवक दोबारा पारस्परिक स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे।"

यह प्रावधान यह सुस्पष्ट करता है कि ऐसा शासकीय सेवक जिसे उसके पारस्परिक आवंटन के आवेदन के आधार पर किसी एक उत्तरवर्ती राज्य को अंतिम रूप से आवंटित कर दिया गया है, वह नए सिरे से पारस्परिक आवंटन का हकदार नहीं होगा।

19. चूंकि यह न्यायालय पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुका है और जो भारत संघ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित भी होता है कि याचिकाकर्ता को श्री खरे के साथ पारस्परिक आवंटन के उसके आवेदन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को अंतिम रूप से आवंटित किया गया था, अतः दिनांक 29-4-2005 के परिपत्र के अनुसरण में श्री के.के. पिपरी/उत्तरवादी क्रमांक 4 के साथ पारस्परिक आवंटन हेतु उसके द्वितीय आवेदन पर, उक्त परिपत्र के उस स्पष्ट प्रावधान के आलोक में विचार नहीं किया जा सकता था जो उसे पारस्परिक आवंटन हेतु आवेदन करने से वर्जित करता है।

20. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय द्वारा इसे भी दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक है कि दिनांक 28-2-2013 के अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी-14) में याचिकाकर्ता ने कंडिका 5 (ए) में निम्नलिखित उल्लेख किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"5. अब मैं कुछ प्रमाण-सबूत दे रहा हूं कि किस तरह संपूर्ण जानकारी के अभाव में त्रुटि हो रही है :-

ए. मेरे द्वारा श्री यू.एस. खरे सहायक यंत्री के साथ आपसे अदला-बदली का न तो कोई आवेदन दिया गया था और न ही ऐसा कोई आदेश आज तारीख तक जारी हुआ है। मैने सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी म.प्र. शासन से मांगी थी एवं म.प्र. शासन ने ऐसे किसी भी आदेश के उपलब्ध होने से इंकार किया है। (प्रदर्श ए-2)"

21. रिट याचिका के कंडिका 8.5 में एक सुझावात्मक अभिवचन किया गया है मानो याचिकाकर्ता ने श्री खरे के साथ पारस्परिक आवंटन के लिए कभी कोई आवेदन ही न किया हो। इस प्रकार, यह सुस्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अपने अभ्यावेदन में सत्य के गोपन तथा असत्य के सुझाव का का दोषी है।

22. टाइप किए हुए कागज पर उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदनों और उसके द्वारा स्वयं लिखित एक अन्य आवेदन, तथा अंतिम आवंटन सूची में इस टिप्पणी के प्रत्यक्षतः विद्यमान होने पर कि उसका अंतिम आवंटन श्री खरे के साथ अदला-बदली के आधार पर है, याचिकाकर्ता को ऐसे अभिवचन नहीं करने चाहिए थे, जो उसकी अपनी जानकारी में असत्य थे।

23. इस मुद्दे पर एक और सुसंगत एवं महत्वपूर्ण पहलू यह है कि श्री खरे के साथ उसके पूर्व पारस्परिक आवंटन के कारण, जब याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 4/श्री के.के. पिपरी ने पारस्परिक आवंटन के लिए पुनः आवेदन किया, तो उसे मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 9-12-2002 (अनुलग्नक - आर /6-4) को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसे पूर्व में ही पारस्परिक आवेदन के आधार पर आवंटित किया जा चुका है, अतः किसी अन्य व्यक्ति अर्थात् उत्तरवादी क्रमांक 4/श्री के.के. पिपरी के साथ उसके बार-बार किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

24. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि केंद्र सरकार के दिनांक 29-6-2006 के आदेश का, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 8-8-2005 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य में किए गए आवंटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा आदेश पारित किए जाने की तिथि पर पारस्परिक आवंटन हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं था। तथापि, भारत संघ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुलग्नक आर /6-9 से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका क्रमांक 1619/2004 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, जिसमें उसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, यह मामला केंद्र सरकार द्वारा संज्ञान में लिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. उक्त विचारण के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य ने एक टिप्पणी तैयार की थी कि याचिकाकर्ता को पूर्व में ही श्री खरे के साथ पारस्परिक आवंटन के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य आवंटित किया जा चुका है और याचिकाकर्ता सहायक अभियंता है जबकि उत्तरवादी क्रमांक 4 अधीक्षण अभियंता है, इसलिए पारस्परिक आवंटन की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता।

26. इस टिप्पणी के पश्चात, राज्य सलाहकार समिति ने दिनांक 29-6-2005 की अपनी बैठक में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार किया और उसे खारिज करने का संकल्प पारित किया । राज्य सलाहकार समिति का निर्णय पेपर बुक के पृष्ठ 373 एवं 374 पर उपलब्ध है, जो स्पष्ट रूप से इस न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश का संदर्भ देता है जिसमें उत्तरवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निर्णय करने का निर्देश दिया गया था।

27. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में राज्य सलाहकार समिति की इसी अनुशंसा/कार्यवृत्त के आधार पर, केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार किया और दिनांक 29-6-2006 (अनुलग्नक आर /6-10) को इसे खारिज कर दिया।

28. याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 29-6-2006 को उसके अभ्यावेदन को खारिज किए जाने से पूर्व ही, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 8-8-2005 को छत्तीसगढ़ राज्य में उसके आवंटन का आदेश दिया जा चुका था, अतः केंद्र सरकार के पास उसके अभ्यावेदन पर कोई आदेश पारित करने की शक्ति या अधिकारिता नहीं थी।

29. इस तर्क को उच्चतम न्यायालय द्वारा **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जी.आर. प्रभावलकर एवं अन्य**[1] में प्रतिपादित विधि के आलोक में केवल अस्वीकार किए जाने हेतु संदर्भित किया जाता है, जिसमें यह माना गया है कि उच्च न्यायालय के पास पदों के ऐसे समीकरण के गुण-दोष या अन्यथा में जाने की शक्ति नहीं है, विशेषकर तब जब केंद्र सरकार की कार्रवाई न तो दुर्भावनापूर्ण थी और न ही असंगत एवं बाह्य तथ्यों से प्रभावित थी।

30. इसी प्रकार, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1956') के समरूप प्रावधान पर विचार करते हुए, केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने **पी.एस. मेनन बनाम केरल राज्य एवं अन्य**[2] में, अंतिम आवंटन के आदेश जारी करने के मामले में केंद्र सरकार के प्राधिकार पर विचार किया है और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> '5. उन प्रश्नों पर भी तर्क प्रस्तुत किए गए थे कि क्या केंद्र सरकार सेवाओं के एकीकरण के मामले में मूल और अनन्य प्राधिकारी है या क्या वह केवल एक अपीलीय प्राधिकारी थी या क्या वह अधिनियम की धारा 117 द्वारा परिकल्पित निर्देश देने का हकदार केवल एक प्राधिकारी था, जिसने एकीकरण के मामले को राज्य सरकार पर छोड़ दिया है जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 3 के साथ पठित अनुच्छेद 162 और 309 के प्रावधानों के तहत अपनी सेवाओं और उन सेवाओं के सदस्यों के संबंध में प्रावधान करने की हकदार है; परस्पर विरोधी विचार रखने वाले निर्णय हमारे समक्ष उद्धृत किए गए थे। लेकिन हम इस प्रश्न पर विस्तार से जाना अनावश्यक समझते हैं क्योंकि इन याचिकाओं में किसी भी याचिकाकर्ता या प्रतिवादियों द्वारा हमारे समक्ष इस बात पर विवाद नहीं किया गया था कि अधिनियम द्वारा प्रभावी किए गए राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सेवाओं के एकीकरण के मामले में अंतिम प्राधिकारी केंद्र सरकार है। इसलिए हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 115 की उप-धारा (5) द्वारा परिकल्पित उचित और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए।'

---

1 AIR 1973 SC 2102
2 AIR 1970 Kerala 165

31. अतः, यह सुस्थापित है कि पुनर्गठन के परिणामस्वरूप दो उत्तरवर्ती राज्यों के बीच कर्मचारियों/कर्मियों के आवंटन के संबंध में आदेश पारित करना केंद्र सरकार के अनन्य अधिकारिता में है और इस संबंध में केंद्र सरकार की सर्वोच्चता अक्षुण्ण है, इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-6-2006 प्रभावी रहेगा और याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य में आवंटित नहीं माना जा सकता है।

32. **वसंत कृष्णराव पातुरकर एवं अन्य बनाम डी.आर. मजरमकर एवं अन्य**[3] में, उच्चतम न्यायालय ने राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पदों के समीकरण और संयुक्त क्रमिकता सूची तैयार करने के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यह केंद्र सरकार ही है जिसे पदों के समीकरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करना है तथा संयुक्त क्रमिकता सूची तैयार करनी है, और उच्च न्यायालय राज्य सरकार को उन शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश नहीं दे सकता है।

33. यदि तर्क की खातिर यह मान भी लिया जाए कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पारस्परिक आवंटन के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया था और उसके अनुसरण में मध्य प्रदेश राज्य ने दिनांक 29-4-2005 के परिपत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए थे और इस प्रकार, उक्त दिशा-निर्देशों के तहत कार्य करते हुए मध्य प्रदेश राज्य केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा था, तो भी याचिकाकर्ता के मामले में कोई सुधार नहीं होता और न ही उसे कोई लाभ मिलता है, क्योंकि उसी परिपत्र के कंडिका 5 में यह उल्लेख किया गया है कि जहाँ पारस्परिक आवंटन की प्रार्थना के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा अंतिम आवंटन का आदेश दिया जा चुका है, ऐसे मामलों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा और नए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, किसी भी कोण से विचार करने पर, याचिकाकर्ता अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा है। जब इस न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन विचाराधीन था, तब मध्य प्रदेश राज्य विभिन्न कारणों से दिनांक 8-8-2005 जैसा आदेश पारित नहीं कर सकता था (जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित किया गया था), यथा:

प्रथमतः; दिनांक 29-4-2005 के परिपत्र के कंडिका 5 में निहित प्रावधानों के आलोक में पारस्परिक आवंटन के नए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता था।

द्वितीयतः; जबकि याचिकाकर्ता सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत था, उत्तरवादी क्रमांक 4 अधीक्षण अभियंता के रूप में कार्यरत था और इस प्रकार, वे एक ही संवर्ग के नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 AIR 1974 SC 1502

तृतीयतः; पारस्परिक आवंटन हेतु उनकी प्रार्थना को मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 9-12-2002 को एक बार खारिज कर दिया गया था।

चतुर्थतः; याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका में इस न्यायालय ने उत्तरवादी प्राधिकारियों को उसके लंबित अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश जारी किया था और इस बीच, उसके अभ्यावेदन का निर्णय किए बिना मध्य प्रदेश राज्य, उत्तरवादी क्रमांक 4 को सुनवाई का अवसर दिए बिना सीधे आवंटन का आदेश पारित नहीं कर सकता था, जिसका कथन है कि दिनांक 29-4-2005 के परिपत्र के जारी होने के बाद उसने पारस्परिक आवंटन के लिए कोई आवेदन नहीं किया है।

पंचमतः; याचिकाकर्ता स्वयं इस याचिका में दाखिल प्रत्युत्तर के कंडिका 4 में स्वीकार करता है कि पारस्परिक स्थानांतरण के उसके आवेदन को मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 9-12-2002 को खारिज कर दिया गया था।

34. निष्कर्षतः यह रिट याचिका ठोस आधार के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

35. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(पी.के. मिश्रा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smt. Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]